बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–...............................

सख्ंया :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 11/2025. –............................... क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, मगध प्रक्षेत्र, गयाजी के पत्रांक 542, दिनांक 17.06.2025 के साथ संलग्न श्रीमती ममता कुमारी, लिपिक के परिवाद–पत्र में श्रीमती ममता कुमारी, लिपिक के द्वारा डा॰ अनुरंजन कुमार गौतम, जिला पशुपालन पदाधिकारी, गयाजी के विरूद्ध मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, अनैतिक संबंध बनाने एवं शादी करने का दबाव देने, श्रीमती कुमारी के साथ अमर्यादित व्यवहार करने एवं वरीय पदाधिकारी से मिलने पर वेतन बंद कर देने की धमकी देने के साथ–साथ सरकारी वाहन द्वारा पीछा करने का आरोप लगाया गया है।

डा॰ गौतम के विरूद्ध प्रकाश में आये उक्त आरोपों को बिहार पशु चिकित्सा संघ, गयाजी ईकाई के द्वारा संज्ञान में लेते हुए दिनाक 18.06.2025 को एक आपातकालीन बैठक आहूत की गयी तथा बैठक की कार्यवाही में सर्वसम्मति से डा॰ गौतम के उक्त कृत्य की निंदा की गयी तथा डा॰ गौतम के विरूद्ध श्रीमती ममता कुमारी, लिपिक के द्वारा उक्त लगाये गये सभी आरोपों की पुष्टि की गयी। साथ ही उक्त बैठक में एक अन्य मामला भी संज्ञान में आया कि डा॰ गौतम के द्वारा पूर्व में भी पदस्थापित जिला में महिला पशु चिकित्सक से अनैतिक तरीके से भयादोहन कर आर्थिक दोहन किया गया है। उक्त बैठक में पारित प्रस्ताव की सूचना क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, मगध प्रक्षेत्र, गयाजी के पत्रांक 544, दिनांक 18.06.2025 द्वारा विभाग को दी गयी तथा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा एक स्वर में डा॰ अनुरंजन कुमार गौतम, जिला पशुपालन पदाधिकारी, गयाजी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध अपर मुख्य सचिव महोदया से किया गया है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी, गयाजी के द्वारा लिपिक श्रीमती ममता कुमारी के विरूद्ध की जा रही उक्त व्यवहार से संबंधित ऑडियो एवं विडियों सोशल मिडिया पर वारयल हो रहा है। उक्त वायरल ऑडियों एवं विडियों को विभाग में सक्षम पदाधिकारी द्वारा सुना गया, जिसमें यह पाया गया कि डा॰ गौतम के द्वारा श्रीमती ममता कुमारी, लिपिक के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोपों को स्वीकार किया गया है एवं क्षमा याचना की गयी है। साथ ही उक्त ऑडियो को सुनने के उपरांत यह भी पाया गया कि डा॰ गौतम के द्वारा किसी कर्मी से प्रोन्नति के नाम पर ₹20,000/–(बीस हजार रूपये) घूस लेने का आरोप को स्वीकार किया गया है एवं उक्त राशि को वापस करने का भी वादा किया गया है।

उक्त सी॰डी॰ में रिकॉडेड वार्त्तालाप के क्रम में डा॰ गौतम द्वारा स्वीकारोक्ति से उपरोक्त अंकित आरोपों की स्वतः पुष्टि होती है। डा॰ गौतम का उक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) एवं नियम 3 (4) में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है।

उक्त आलोक में डा॰ गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

(11)

अतः उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (i)(क) में वर्णित प्रावधान के तहत् डा॰ अनुरंजन कुमार गौतम, जिला पशुपालन पदाधिकारी, गयाजी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

1. निलंबन अवधि में डा॰ गौतम को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
2. निलंबन अवधि में डा॰ गौतम का मुख्यालय ***क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, सहरसा*** निर्धारित किया जाता है।
3. उक्त आरोप के लिए डा॰ गौतम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 11/2025– ..../ पटना–15, दिनांक–..............

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 11/2025– ..../ पटना–15, दिनांक–..............

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 11/2025– 296 नि०गो०वि०................../ पटना–15, दिनांक–01.07.2025

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना /निदेशक, पशुपालन/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, मगध क्षेत्र, गयाजी/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, कोसी क्षेत्र, सहरसा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, गयाजी/सहरसा/डा॰ अनुरंजन कुमार गौतम, तदेन जिला पशुपालन पदांधिकारी, गयाजी सम्प्रति निलंबित निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, सहरसा/प्रशाखा पदाधिकारी–1/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/25

सरकार के संयुक्त सचिव।